राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःई.33/नेत्र सहायक/2018/ 508 दिनांक : 08/10/2018

आदेश

श्री रघूराज सिंह सोनी, नेत्र सहायक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कैथून जिला कोटा ने एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 17705/2018 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.8.2018 की छायाप्रति प्रस्तुत करते हुए आदेश क्रमांक 582 दिनांक 26.6.2018 के द्वारा किये गये स्थानान्तरण को पुत्री की गम्भीर बीमारी के मध्यनजर निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

निदेशालय के आदेश क्रमांक 582 दिनांक 26.6.2018 की क्रम संख्या 35 के अनुसार श्री रघूराज सिंह सोनी, नेत्र सहायक का स्थानान्तरण/पदस्थापन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कैथून जिला कोटा से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परतापुर जिला बांसवाड़ा में श्री सत्यनारायण वर्मा, नेत्र सहायक के स्थान पर किया गया था तथा इसी आदेश के क्रम संख्या 34 पर वर्णित श्री सत्यनारायण वर्मा, नेत्र सहायक का स्थानान्तरण/पदस्थापन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परतापुर जिला बांसवाड़ा से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कैथून जिला कोटा किया गया था। श्री वर्मा नेत्र सहायक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कैथून जिला कोटा में कार्यग्रहण कर लिया है।

श्री रघूराज सिंह सोनी द्वारा दायर रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 10.8.2018 के द्वारा याचि की पुत्री की बीमारी पर विचार करते हुए उनके अभ्यावेदन का निस्तारण 4 सप्ताह में करने एवं इस अवधि में विवादित आदेश की क्रियान्विति न करने के आदेश विभाग को दिये है।

चूंकि उक्त वर्णित स्थानान्तरण/पदस्थापन में याचि एवं इनके स्थान पर कार्यग्रहण करने वाले श्री सत्यनारायण वर्मा, नेत्र सहायक के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक दृष्टि से किये गये है तथा श्री वर्मा द्वारा याचि के पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण कर लिये जाने के कारण अब याचि (श्री रघूराज सिंह सोनी, नेत्र सहायक) को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कैथून जिला कोटा में पदस्थापित रखा जाना सम्भव नही होगा।

अतः उक्त वर्णित परिस्थिति में माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 10.8.2018 के निर्देशों की पालना में याचि के अभ्यावेदन पर विचार कर याचि की पुत्री की गम्भीर बीमारी को दृष्टिगत रखते हुए याचि श्री रघूराज सिंह सोनी, नेत्र सहायक का पदस्थापन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हिण्डोली जिला बून्दी में नेत्र सहायक के रिक्त पद पर किया जाता है।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

लगातार 2 ...

क्रमांकःई.33 / नेत्र सहायक / 2018 / 508 दिनांक :08/10/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग राज. जयपुर।
3. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
4. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन कोटा।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा एवं बून्दी।
6. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कैथून (कोटा) एवं हिण्डोली (बून्दी)
7. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।
8. संबंधित कर्मचारी को पालनार्थ।
9 आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर